राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– गुडिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 71 सन 2018

अनवान :–

1. प्रवीण पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र धनराज जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 66/45/46 की कुल 2.1760हैक भूमि वादी के दादा धनराज की अर्जित भूमि थी वादी के दादा धनराज के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में जबाबदावा जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा धनराज पुत्र गिरधारी के नाम से दर्ज थी वादी के दादा धनराज के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार भी कर लिया है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 66/45/46 की कुल किता 11 की कुल 2.1760हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–गुडिया

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–गुडिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. प्रवीण पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 बृजलाल पुत्र धनराज जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 71 सन 2018 निर्णय दिनांक–09.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 66/45/46 की कुल किता 11 की कुल 2.1760हैक भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–गुडिया